

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/

995

दिनांक

26/06/25

प्रार्थीगण:-

1. जोगाराम 2. मोहनलाल पि. पदमाराम
3. लक्ष्मी पत्नि पदमाराम, जाति जाट
निवासी भाखरपुरा, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. पूराराम पुत्र पूनमाराम 2. जोगाराम 3. लूम्बाराम पि. नेनूराम
4. लूम्बाराम पुत्र सिमरथाराम 6. जगदीश पुत्र धोकलाराम
6. फरसाराम पुत्र नाथाराम 7. पेमाराम 8. भूराराम पि. मालाराम
9. पूराराम पुत्र पूनमाराम 10. अर्जुनराम पुत्र ठाकराराम
11. बाली पत्नि ठाकराराम, जाति जाट, निवासी भाखरपुरा
(कैरनाडा) 12. लूम्बाराम पुत्र आसूराम, जाति जाट, निवासी
जाटों की ढाणी 13. गौमाराम पुत्र हुकमाराम, 14. खंगार पुत्र
रंगाराम, जाति मेघवाल, निवासी भाखरपुरा, तहसील चौहटन
15. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 236/2024

दिनांक : 26/06/25

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा भाखरपुरा के खेत खसरा सं. 416/72, 419/79, 424/223 रकबा क्रमशः 02.2420, 00.7608, 01.6430 हैक्टयेर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के स्वरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर समस्त विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित करते हुए विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्यन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी  उपखण्ड अधिकारी
चौहटन चौहटन


दिनांक 26/06/25

क्रमांक/भू.अ./2025/

996 to 999

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण जोगाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण पूराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/वीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

(कुसुमलता )

उपखण्ड अ

चौहटन

चौहटन